अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2–DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1942,00,00		1942,01,00	1899,23,45	–42,77,55
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415" कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Major Head "2415" Agricultural Research and Education				
मू.	O.	182555.00	193227.00	189790.44	–3436.56
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	10671.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	11500.00	829.00	. .	–829.00
पु.	R.	–10671.00			

(I) 11500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के

(I) Provision of Rs.11500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to re-appropriation of

लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2415" – savings occurred under the following heads:-

(का) "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता"-

(A) "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R."-

(क) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- 475.05 लाख रु. की बचत (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 0.05 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 14850.05 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" – saving of Rs.475.05 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14850.05 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.05 lakh obtained in March, 2006);

(ख) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें" - 4878.00 लाख रु. की बचत (6118.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Externally Aided Projects/Schemes" – saving of Rs.4878.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6118.00 lakhs); and

(खा) "सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहायोग - अन्य कार्यक्रम"- 4473.07 लाख रु. की बचत (4550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "General-International Co-operation-Other Programmes" – saving of Rs.4473.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4550.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यय वित्त समिति द्वारा योजना के अंतर्गत स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-approval of the schemes under plan by the Expenditure Finance Committee.

(गा) "पशु पालन - डेरी अनुसंधान संस्थान एवं स्कीमों सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पशु विज्ञान संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों को सहायता" - 1805.08 लाख रु. की बचत (0.08 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 21300.08 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Animal Husbandry - Assistance to ICAR, Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institute and Schemes" - saving of Rs.1805.08 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.21300.08 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.08 lakh) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

2.(I) उपर्यक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (13395.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.13395.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2006 under Major Head "2415" – under the following heads:-

(का) ''फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता' -

(क) ''फसल विज्ञान संस्थान,अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें' - 5565.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक व्यय 5564.78 लाख रु. था।

(ख) ''एएसआरबी और डीआईपीए, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन' - 2228.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2227.60 लाख रु. था।

(ग) ''कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें - 2005.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2004.98 लाख रु. था।

(घ) ''कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें - 2505.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2504.96 लाख रु. था।

(खा) ''मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि वन अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें' - 1092.00 लाख रु.। तथापि वास्तविक अधिक व्यय 1091.95 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2415'' - ''सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 5471.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष'2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R."–

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" – Rs.5565.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5564.78 lakhs.

(b) "I.C.A.R. Headququarter Administation including ASRB and DIPA, Research and Education Schemes" – Rs.2228.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2227.60 lakhs.

(c) "Agricultural Extension Institutes , Research and Education Schemes" – Rs.2005.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2004.98 lakhs.

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" – Rs.2505.00 lakhs. Actual excess , however, was Rs.2504.96 lakhs.

(B) "Soil and Water Conservation – Assistance to I.C.A.R. – Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro – Forestry Research and Education Schemes" – Rs.1092.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1091.95 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2415"- "General- Assistance to Other Institutions –Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal" – excess of Rs.5471.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.